SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र संख्या/ Circular No.10

दिनांक/ Date: 19.06.2025

परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान मूल रूप से हिन्दी में किए गए सरकारी कामकाज (टिप्पण/प्रारूपण) के मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के संबंध में।

Regarding submission of records for evaluation of official work (Noting/drafting) done originally in Hindi during the year 2024-25 for incentive.

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा अनुभाग के पत्रांक हिंदी प्रकोष्ठ/43/रा.भा.प्रो.यो./2023-24/55 दिनांक 06.06.2024 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रोत्साहन योजना हेतु वे अधिकारीगण/कर्मचारीगण जिन्होंने उपर्युक्त पत्र में निर्दिष्ट पात्रता के अनुरूप निर्धारित मापदण्डों को पूरा किया है, उनसे अनुरोध है कि निर्धारित प्रोफॉर्मानुसार वांछित सूचनाएं/आँकड़े, मूल्यांकन एवं पुरस्कार संबंधी आवश्यक कार्रवाई हेतु कृपया राजभाषा अनुभाग को दिनांक **30.06.2025** तक प्रेषित करें।

With reference to Rajbhasha Section's letter No. Hindi Cell/43/OLIS/2023-24/55 dated 06.06.2024 on the subject cited above, it is to inform that those officers/officials who have fulfilled the prescribed criteria according to the eligibility specified in the above letter, are requested to submit their requisite information/data in the prescribed proforma to Rajbhasha Section by **30.06.2025.** for necessary action pertaining to evaluation and incentive under the incentive scheme for the year 2024-25.

वर्ष 2024-25 हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं उन्हें पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा एवं इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। विजेताओं को आगामी **हिंदी पखवाड़ा 2025** समारोह कार्यक्रम के दौरान निम्नानुसार पुरस्कृत किया जाएगा।

Evaluation of work done by the officers/officials originally in Hindi for the year 2024-25 and incentive thereof, will be finalized by the constituted evaluation committee and their decision in this regard will be final and invariably accepted. The winners will be awarded in the ensuing **Hindi Pakhwada 2025** programme as per criteria given below:-

प्रथम पुरस्कार/ First Prize	02 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 5,000/-
द्वितीय पुरस्कार/Second Prize	03 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 3,000/-
तृतीय पुरस्कार/Third Prize	05 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 2,000/-

हस्ता/-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग

Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

ज्ञापन संख्या/ Memo No.

हिंदी प्रकोष्ठ/43/ रा.भा.प्रो.यो./2023-25/341 दिनांक/ Date: 19.06.2025

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

1- सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/
   The Secretary to AG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V
   PA to Sr. DAG, Admn, / AMG V
3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ PA to DAG, AMG I
4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ PA to DAG, AMG II
5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ PA to DAG, AMG III
6- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. IV/ PA to DAG, AMG IV
7- निजी सहायक, कल्याण अधिकरी/ PA to Welfare Officer.
8- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer
   सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निर्दिष्ट राजभाषा से संबंधित उक्त योजना को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।
   Controlling Officer/ Branch Officer- All the Branch Officers are requested to kindly bring this circular related to the said scheme to the notice of Officers/ employees under their control.

ए.एम.जी.-I / AMG-I	ए.एम.जी.-II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.-V AMG-V	ओ.एम. I OM-I
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	ओ.एम. II OM-II
आई.टी.ए/ ITA		ईडीपी/ EDP			

9- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
   The Assistant Audit Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular to the office's website.
10- प्रशासन अनुभाग, परिपत्र गार्ड फाइल/ Admn Section, Circular Guard File.
11- राजभाषा अनुभाग, परिपत्र गार्ड फाइल/ Rajbhasha Section, Circular Guard File.
12- सूचना पट्ट /Notice Board

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग

Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: कार्यालय में वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना।
Incentive scheme for performing the official work (Noting/drafting) originally in Hindi during the year 2024-25 in the office.

भारत सरकार, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12013/3/87-रा.भा. (क.-2) दिनांक 16 फरवरी 1988 एवं सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जिन्होंने वर्ष में कम से कम दस (10) हजार शब्द हिंदी में लिखे हों। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में किए गए इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जायेंगे।

Official Language Policy of Ministry of Home Affairs, Govt. of India is based upon motivation, encouragement and goodwill. An incentive scheme has been implemented by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs vide O.M. No. II/12013/3/87-O.L.(imp-2) dated 16.02.1988 and No. 12013/01/2011-O.L.(Imp.) dated 14.09.2016 (copy enclosed) for noting and drafting originally in Hindi. Under this scheme, Officers/officials who have drafted/noted at least Ten (10) Thousand words in Hindi during a year, will be eligible for the incentive. Besides noting/drafting originally in Hindi, other relevant official works i.e entry in register, preparation of list, work related to accounts may also be included.

इस योजना के तहत भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक वर्ष में उनके द्वारा हिंदी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगें-

Officers participating under this scheme will be awarded with cash prize on the basis of work done in Hindi by them in a year as per given below:

प्रथम पुरस्कार/ First Prize	02 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 5,000/-
द्वितीय पुरस्कार/ Second Prize	03 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 3,000/-
तृतीय पुरस्कार/ Third Prize	05 पुरस्कार/Prize	प्रत्येक पुरस्कार/ Every Prize @ ₹ 2,000/-

मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा हेतु तथा 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे। जिन प्रतिभागियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया होगी उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंको का लाभ दिया जाएगा। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किए गए हिंदी कार्य का रिकार्ड संलग्न प्रपत्र के अनुसार संबंधित अनुभाग/ प्रकोष्ठ में रखा जाए एवं और मूल्याँकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राजभाषा अनुभाग को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक प्रेषित किया जाए। हिंदी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन एवं पुरस्कारों का निर्णय गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

There will be 100 marks for the evaluation. Out of this, 70 marks will be for quantum of work performed in Hindi and remaining 30 marks for the clarity of the thoughts. Participants whose mother tongue are Tamil, Telgu, Kannnada, Malyalam, Bengali, Odia and Assamese will get benefit upto 20 percent. The record of the Hindi work done under the incentive scheme should be kept in the concerned section/cell as per the prescribed format and should be sent to Rajbhasha Section by April 30, 2025 to be presented before the Evaluation Committee. Work performed in Hindi will be evaluated by the Evaluation committee and incentive for the same will be decided by the Evaluation Committee and their decision in this regard will be final.

संबंधित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत रिकार्ड को साप्ताहिक आधार पर संबंधित अनुभाग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना वांछित है। वित्त वर्ष 2024-25 के समाप्ति के उपरांत, ऐसे सभी रिकॉर्ड मूल्यांकन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

Officers/officials willing to take part in the scheme are requested to keep their records in the prescribed enclosed proforma in respect of their work performed in Hindi. After verification by the concerned Assistant Audit Officer, the same is required to be countersigned by the Senior Audit Officer of concerned section on weekly basis. After completion of F.Y. 2024-25, all such records will be produced before committee for evaluation.

संलग्नक: प्रपत्र।

Enclosed: Proforma

हस्ता/-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग

Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

ज्ञापन संख्या/ Memo No. हिंदी प्रकोष्ठ/43/ रा.भा.प्रो.यो./2023-24/55 दिनांक/ Date:06.06.2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar

2- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन, ए.एम.जी. I/ V/

Personal Asstt. to DAG, Admn, AMG I/ V

3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/IV/

Personal Asstt. to DAG, AMG II/IV

4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/

Personal Asstt. to DAG, AMG III

5- कल्याण अधिकरी/ Welfare Officer.

6- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी - सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निर्दिष्ट राजभाषा से संबंधित उक्त योजना को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें एवं परिपत्र में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों को संदर्भ हेतु इस कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करें।

Controlling Officer/ Branch Officer- All the Branch Officers are requested to kindly bring this circular related to the said scheme to the notice of Officers/ employees under their control and also relevant OMs may be downloaded from the website of this office for the reference.

ए.एम.जी.- I / AMG-I	ए.एम.जी.- II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.- V AMG-V	ओ.एम. I OM-I
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	ओ.एम. II OM-II

7- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया अनुलग्नक सहित इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along its enclosures on the website of this office.

8- सूचना पट्ट /Notice Board

9- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

गिरिराज 06/06/24

हिंदी अधिकारी

Hindi Officer

हिंदी में किए गए कार्य का रिकॉड

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी .... पदनाम ....

विभाग/अनुभाग ....की दिनांक : .... को

समाप्त होने वाले सप्ताह में हिंदी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी।

क्र.सं.	दिनांक	कुल फ़ाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया	हिंदी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए काम का संक्षिप्त ब्यौरा	हिंदी में किए गए काम के शब्दों की कुल.संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

....

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 15 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त ।।/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा

(9)

अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में लाएं एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें।

2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
16. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ) ।
18. वरिष्ठ निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, राजभाषा विभाग ।
19. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार) ।

(8)

फा.सं. 2-10/2014-15/हिं.प्र./ 837

हिंदी प्रकोष्ठ

दिनांक : 19.05.2014

परिपत्र

विषय : सरकारी काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.11-12013/84-रा.भा. (क-क) दिनांक 16.02.1988 के निर्देशों के अनुसार परिषद् मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक मूल टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए प्रेरित करने हेतु हर वर्ष की भाँति यह प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस योजना में सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूलरूप से हिंदी में करते हैं किंतु इसमें हिंदी प्रकोष्ठ या हिंदी पदों पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किए गए हिंदी कार्य का रिकार्ड संलग्न प्रपत्र के अनुसार रखा जाए और वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च, 2015 तक हिंदी प्रकोष्ठ में मूल्यांकन हेतु भिजवाया जाए। पुरस्कारों का निर्णय निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। पात्रता एवं मूल्यांकन संबंधी जानकारी संलग्न है।

परिषद् के सभी विभागाध्यक्षों एवं शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि इस योजना को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में परिचालित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपर्युक्त

(आर.पी. राठी)
उप सचिव
हिंदी प्रकोष्ठ

प्रति :

परिषद् के सभी विभागों/प्रभागों/प्रकोष्ठों/एककों आदि के अध्यक्ष
परिषद् सचिवालय के सभी शाखाधिकारी
परिषद् के सभी अनुभाग

प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विवरण निम्नलिखित हैः

पात्रताः

केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द, "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" और "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिंदी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूपण के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इंदराज (प्रविष्टियाँ), सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

पुरस्कारः

भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा मूलरूप से हिंदी में अधिक से अधिक टिप्पण प्रारूपण लिखने संबंधी कार्य के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगेः

(1)	प्रथम पुरस्कार	(2 पुरस्कार):	प्रत्येक पुरस्कार रु.1600/-
	द्वितीय पुरस्कार	(3 पुरस्कार):	प्रत्येक पुरस्कार रु.800/-
	तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार):	प्रत्येक पुरस्कार रु.600/-
(2)	अधिकारियों को डिक्टेशन देने के लिए पुरस्कार	(2 पुरस्कार):	प्रत्येक पुस्कार रु.2000/-

Provision revised at P/10C

पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड

क. मूल्याँकन करने के लिए कुल 10 अंक रखे जाएँगे। इनमें 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएँगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

ख. जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्याँकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर है।

ग. प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहास्ताक्षर किए जाएँगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

घ. एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्याँकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

मूल्याँकन समितिः

संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिंदी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है। पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा।

(6)

सं0 II/12013/01/2011-रा0भा0(नीति/के0अनु0ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****

एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर, 2012

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय :- **सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि ।**

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन सं0 II/12013/3/87-रा0भा0(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिंदी में आलेखन/टिप्पण के लिए पहले से चलाई जा रही प्रोत्साहन योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर उक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्शाई गयी नगद पुरस्कार राशि को राजभाषा विभाग के दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 II/12013/18/93-रा0भा0 (नी02) के तहत पहले के मुकाबले दोगुना कर दिया गया था ।

2. उपरोक्त योजनाके अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पुन: विचाराधीन था । वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति के आधार पर पुरस्कार राशि को पुन: दोगुना कर दिया है । बढ़ाई गई पुरस्कार राशि निम्न प्रकार है:-

(क) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग/ संबद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 2000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 1200/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 600/-

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 1600/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 800/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	:	प्रत्येक रू0 600/-

उक्त योजना के बारे में दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन के तहत बनाए गए सभी नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी । पुरस्कार की बढ़ी हुई राशि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी ।

हरिन्द्र 30/10/2012

3. ठीक इसी प्रकार इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1989 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/12013/1/89-रा0भा0(क-2) के तहत अधिकारियों को हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में पुरस्कार राशि दिनांक 16 सितम्बर, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं0 11/12013/18/93-रा0भा0(नी02) में दिए गए निर्देशों द्वारा 1000/- रू0 कर दी गई थी । इस योजना में दी जाने वाली राशि अब 2000/- रू0 कर दी गई है जोकि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी । उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत में वर्णित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 09-11-2011के यू0ओ0 सं0 1(18)/E.Coord./2011 के अनुसार जारी किया जा रहा है ।

30/11/2012

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक (तकनीकी/नीति)

सेवा में :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए ध्यान में ला दें एवं की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी सूचित करें ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
4. भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
9. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
10. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
12. निदेशक, केंद्रीय अनुवार ब्यूरो, नई दिल्ली ।
13. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
14. संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
15. केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।
16. अध्यक्ष,अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, 34, कोटला रोड, नई दिल्ली ।
17. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग/एकक (कार्यान्वयन-2 अनुभाग को 3 प्रतियों के साथ)
18. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची अनुसार)

परिपत्र सं० 21/88

संख्या-II/12013/3/87-रा॰भा॰ (क-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3.

दिनांक 16 फरवरी, 1988.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/1/84-रा॰भा॰ (क-2) दिनांक 25 मई, 1984 के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पणी/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी । इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे । इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जो 25 मई, 1984 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी । योजना का विवरण इस प्रकार है :-

2. (1) योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

(2) पात्रता

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णत: या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं ।

17 FEB 1988

-------------2/-

योजना के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे । उक्त मार्गदर्शी सिद्धा... पुरस्कार राशि

(ख) केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र (अर्थात बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र) में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र (जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं) में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें । इसमें मूल टिप्पण व प्रारुप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे ।

(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो सामान्यत: अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

(3) पुरस्कार-

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 500/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 300 /-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 150 /-

-----------3/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 400/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 200/-
तृतीय पुरस्कार (5 पुरस्कार): प्रत्येक रु0 150/-

(4) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा । रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

(5) पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएगें । इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएगें और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे ।

(ख) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर हैं ।

(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएगें । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

----------4/-

(घ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा ।

(6) मूल्यांकन समिति

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं । संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है ।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा । पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए ।

4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा । विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है । इस पुरस्कार योजना पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि.सं. एच-78/ई-II/87, दिनांक 27.1.88 द्वारा दे दी है ।

5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी ।

6. समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना को